रूपाराम - रामगोपाल 83/20

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 83/2020

1 रूपाराम आयु 46 साल पुत्र हनुमान जाति जांगिड़ निवासी ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामगोपाल पुत्र सुरजा
2 दुर्गा देवी पत्नी सुरजा
3 केसर पुत्र गणपत
4 सुभाष पुत्र मांगीलाल
5 राकेश पुत्र मांगीलाल
6 कविता पुत्री मांगीलाल
7 नाथी देवी पत्नी मांगीलाल
8 नरेन्द्र पुत्र शंकरलाल
9 सुमन पुत्री शंकरलाल
10 माया पुत्री शंकरलाल
11 अनिता पुत्री शंकरलाल
12 विमला देवी पत्नी शंकरलाल
13 जगदीश पुत्र हनुमान

समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

14 पटवारी हल्का जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
15 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
16 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध डिकी व निर्णय दिनांकित 12.11.2020 वउनवानी रूपाराम आदि वनाम रामगोपाल आदि मु.नं. 89/2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित आदेश

उपस्थिति :

1. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिसिंह बाजिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 575, 666/1, 796, 800/872/1, 806 वाके ग्राम जाजोद का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित कृषि भूमियों का खातेदार काश्तकार है कृषि भूमियां पैतृक है जो अपीलान्ट को विरासत में मिली है अपीलान्ट के पिता ने आराजी खसरा नम्बर 800/872/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर कय किया था अपने पिता के जीवनकाल से ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 13 का कब्जा, काश्त है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट को लाठी के बल पर बेदखल कर देने एंव जबरन कब्जा कर लेगें। तब अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने विचारण न्यायालय में अपने अधिकारों की उद्घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई का अधिकार केवल मात्र विचारण न्यायालय को ही है लेकिन विचारण न्यायालय ने आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के खिलाफ जाकर केवल कयास के आधार पर बिना माईन्ड अप्लाई किये जैर अपील पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को वाद इस निष्कर्ष के साथ खारिज किये जाने की गंभीर त्रुटि की गयी है कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमियों के संबंध में दुर्गा देवी बनाम केसर आदि मु.नं. 58/2015 इस न्यायालय में दिनांक 13.02.2020 को निर्णित हो चुका है। विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलांट का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है विचारण न्यायालय ने जो तथ्य निर्णय में उठाए है यह फैक्ट्स आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में नहीं आते है प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपने जवाब दावें में यह तथ्य उठाते एंव तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने वाद अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 ने मौके पर बा जोत कर रखी है अन्य खसरा नम्बरों पर बाहमी बंटवारे अनुसार काश्त कर रहे है इसलिए पक्षकारों को बिना सुनवाई किये बिना ही निर्णय पारित किया है ना तो तनकीयात कायत किया है न ही साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय व डिकी पारित की है जो कानूनी विधिक त्रुटि है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमियों के संबंध में दुर्गादेवी बनाम केसर आदि मु.नं. 58/2015 इस न्यायालय में दिनांक 13.02.2020 को निर्णित हो चुका है। निर्णय की अनुपालना में इजराय की कार्यवाही लम्बित चल रही है। प्रस्तुत वाद में वाद कारण प्रकट किया गया है वह काल्पनिक है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है। प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय से बाधित है। प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमियों के संबंध में दुर्गादेवी बनाम केसर आदि मु.नं. 58/2015 इस न्यायालय में दिनांक 13.02.2020 को निर्णित हो चुका है। निर्णय की अनुपालना में इजराय की कार्यवाही लम्बित चल रही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है। प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय से बाधित है। प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर